2023/179 15/6

जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☏ 230289
ता. पेको स्टेज

राजस्थान सरकार

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला–भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
111-128	144/2023	8/6/23	[illegible] 15/6/23	

अनवान

श्री मोहन s/o रामा धाकड़ श्री कैलाश s/o [illegible] धाकड़

निवासी [illegible] निवासी [illegible]

M.K.D

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाव

श्री मुकेश कुमार धाकड़ श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा – ....111-128........ नम्बर ....149........ / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/6/2023	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 15/6/2023 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
15/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी (4) का नाम हटाने का प्रार्थना-पत्र पेश किया। बाकी समस्त बाद तामील प्राप्त, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में एक पक्षीय आदेश पारित किए जाते हैं। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 144/23 तारीख दायर 8/6/23

मोहन पुत्र रामा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

......................प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र गोकुल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. बजेलाल पुत्र उंकार जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. किशनीबाई पत्नि मोतीलाल जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी लाम्बाखोह तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

...............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 15/6/23

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम भूति पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 185 पर अंकित आराजी संख्या 167 रकबा 0.6880 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित **मौजा ग्राम भूति पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 185 पर अंकित आराजी संख्या 167 रकबा 0.6880 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिख जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया.

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 149/23 तारीख दायर 8/6/23

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....149........../ 2023 पत्थरगढ़ी बाबत्।

मोहन पुत्र रामा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवारी भूति तहरील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

......................प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र गोकुल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवारी गणेशपुरा तहरील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवारी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. बजेलाल पुत्र उंकार जाति कराड़ उम्र वयस्क निवारी भूति तहरील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. किशनीबाई पत्नि मोतीलाल जाति दरोगा उम्र वयरक निवासी लाम्बाखोह तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

...............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम भूति पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 185 पर अंकित आराजी संख्या 167 रकबा 0.6880 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं एंव कमिशनर फीस ~~500~~ 1000/– रूप्ये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा । पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ